फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री रोशन लाल भील पिता श्री केशु लाल निवासी नवलपुरा राज्यावास तहसील व जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 — **पत्रावली संख्या 119 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 30.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये पत्र क्रमांक :– प0सू.अ.05 / 2025 / 91–92 दिनांक 15.01.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना, मर्ग पत्रावली संख्या 18 / 2025 थानाधिकारी पुलिस थाना दिवेर से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गई। इस संबंध में अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 3253 दिनांक 10.12.2025 को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना, मर्ग पत्रावली संख्या 18 / 2025 थानाधिकारी पुलिस थाना दिवेर से इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गई। तथा इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 3253 दिनांक 10.12.2025 से अपीलार्थी को भी सूचित किया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वांछित सूचना दिये जाने के प्रावधान है सूचना का सृजन करके दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)